नर्सों के लिए अति आवश्यक सूचना

nrts.indiannursingcouncil.gov.in पर नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) में स्वत: पंजीकृत नर्सों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि, उनका आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण संबंधित राज्य उपचर्या परिषद् द्वारा किया जाएगा। इसके लिए, उन्हें अपने संबंधित राज्य उपचर्या परिषद् से पूर्व नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) लेकर संपर्क करना होगा। संबंधित राज्य उपचर्या परिषद् की पूर्व नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) के पहले, इसके लिए किसी भी नर्स को सीधे राज्य उपचर्या परिषद् नहीं पहुंचना चाहिए। यदि एनआरटीएस के संबंध में आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए या आपको कोई गलती मिलती है, तो आप इसे **"HELPDESK"** बटन पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

1. पंजीकरण एजेंसी "मैसर्स फिनो पेटेक" नर्सों के विवरण (नर्स डेटा) के पंजीकरण के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी दोनों) पर जाकर पंजीकरण करेगी।
2. जो नर्स **nrts.indiannursingcouncil.gov.in** वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से अपने आपको स्वतः पंजीकृत कर चुके हैं उन्हें आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अपने संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद् जाना होगा। उनका आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण "मैसर्स फिनो पेटेक" द्वारा नहीं किया जाएगा।

नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम के उद्देश्य

1. नर्सों का नि:शुल्क पंजीकरण -- परेशानी-मुक्त पंजीकरण जो आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण से जुड़ा हुआ है।
2. देश भर में एक-समान एकीकृत प्रणाली द्वारा सरल पंजीकरण।
3. राष्ट्रीय अद्वितीय पहचान संख्या (एनयूआईडी) प्रदान कर नर्सों का सशक्तिकरण।
4. 150 घंटे निरंतर नर्सिंग शिक्षा (सीएनई) के साथ पांच वर्ष में एक बार लाइसेंस का नवीनीकरण।
5. एनयूआईडी कार्ड धारक अभ्यर्थियों को पहली बार सीएनई के 30 घंटे का प्रोत्साहन मिलेगा।
6. राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं को प्रभावी जनशक्ति योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।
7. नर्स मिडविफरी के सम्पूर्ण पूर्व विवरण के साथ सभी को "नर्स पासबुक" जारी करना।